न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 15/2016 अपील

1. नाथूलाल पुत्र उंकार कोली निवासी शाहपुरा
2. रामलाल पुत्र उंकार कोली निवासी शाहपुरा
3. नारायण पुत्र उंकार कोली निवासी शाहपुरा
4. जगदीश पुत्र उंकार कोली निवासी शाहपुरा जिला भीलवाडा

–अपीलार्थी

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार शाहपुरा
2. केशर पुत्री उंकार कोली निवासी पुरानी धानमण्डी कोठारी की गली, तैली मोहल्ला, सांगानेरी गेट, भीलवाडा
3. मुन्नी बाई पुत्री उंकार कोली निवासी कोली कॉलोनी, शाहपुरा
4. लाली देवी पत्नी उंकार कोली निवासी नये बस स्टैण्ड के सामने, राधाकृष्ण कॉलोनी, शाहपुरा जिला भीलवाडा

–रेस्पोडेण्ट

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश तहसीलदार शाहपुरा बमामले नामान्तरकरण सं0 1567 दिनांक 19.01.2008

उपस्थित –

1. श्री गोपाल लाल आचार्य अधिवक्ता – अपीलार्थी की ओर से
2. विपक्षी सं. 02 से 04 उपस्थित नही है, एक तरफा कार्यवाही के आदेश

निर्णय

दिनांक 06/12/2019

अपीलार्थी की ओर से यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत विरूद्ध आदेश तहसीलदार शाहपुरा नामान्तरकरण सं0 1567 दिनांक 19.01.2018 के खिलाफ प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी के पिता उंकार कोली की कृषि भूमि खसरा सं. 7758 रकबा 0.47 हैक्ट. पटवार हल्का शाहपुरा तहसील शाहपुरा मे स्थित है। उक्त कृषि भूमि उंकार के पिता दोला की थी। दोला की मृत्यु पश्चात् उंकार के खातेदारी में आयी। उंकार की मृत्यु दिनांक 19.02.2005 के पश्चात् नामान्तरकरण सं. 1567 दिनांक 19.01.2008 से विरासत से उंकार के बजाय नाथुलाल, रामलाल, नारायण , जगदीश पुत्र उंकार, केशर बाई , मुन्नीबाई पुत्री उंकार, लाली बाई पत्नी उंकार के नाम से खातेदारी दर्ज की स्वीकृति प्रदान की गयी। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा कानून की व्याख्या करते हुए हिन्दू उत्तराधिकार कानून के तहत बेटियों को सम्पति में बराबर की हिस्सेदारी तब ही मिलेगी जब पिता 9 सितम्बर 2005 तक

जीवित हो जबकि पिता उंकार की मृत्यु दिनांक 19.02.2005 को ही हो गयी थी। ऐसी सूरत मे माननीय उच्चतम न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय की पालना में बेटियों को पुश्तैनी सम्पति में हक व हिस्सा देय नही है। जिससे उक्त नामान्तरकरण निरस्त किये जाने योग्य है। रेस्पोडेण्ट सं. 02 व 03 द्वारा पिता की पुश्तैनी सम्पति बेचने को उतारू है, जबकि अपीलार्थीगण उक्त सम्पति को अपने पिता की पुश्तैनी होने के कारण रखना चाहते है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमायी जाकर नामान्तरकरण आदेश सं. 1567 दिनांक 19.01.2008 तहसीलदार शाहपुरा के आदेश में दर्ज रेस्पोडेण्ट सं. 02 व 03 के नामान्तरकरण को निरस्त फरमाया जाकर खातेदारी से नाम हटाया जाने का आदेश फरमावे।

प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 28.03.2016 को पंजीबद्ध की जाकर विपक्षी को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय से अपीलाधीन आदेश संबंधी रिकार्ड़ तलब किया गया। विपक्षीगण बावजूद सूचना के उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही की गयी।

अपीलार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। बहस दौरान अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपील मेमों मे वर्णित कथन को दोहराते हुए निवेदन किया कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा कानून की व्याख्या करते हुए हिन्दू उत्तराधिकार कानून के तहत बेटियों को सम्पति में बराबर की हिस्सेदारी तब ही मिलेगी जब पिता 9 सितम्बर 2005 तक जीवित हो जबकि पिता उंकार की मृत्यु दिनांक 19.02.2005 को ही हो गयी थी। ऐसी सूरत मे माननीय उच्चतम न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय की पालना में बेटियों को पुश्तैनी सम्पति में हक व हिस्सा देय नही है। जिससे उक्त नामान्तरकरण निरस्त किये जाने योग्य है। रेस्पोडेण्ट सं. 02 व 03 द्वारा पिता की पुश्तैनी सम्पति बेचने को उतारू है, जबकि अपीलार्थीगण उक्त सम्पति को अपने पिता की पुश्तैनी होने के कारण रखना चाहते है। निवेदन है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमायी जाकर नामान्तरकरण आदेश सं. 1567 दिनांक 19.01.2008 तहसीलदार शाहपुरा के आदेश में दर्ज रेस्पोडेण्ट सं. 02 व 03 के नामान्तरकरण को निरस्त फरमाया जाकर खातेदारी से नाम हटाया जाने का आदेश फरमावे।

पत्रावली का आद्योपान्त गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया और बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया गया। जिसके उपरान्त यह पाया कि अपीलार्थी के पिता उंकार कोली की मृत्यु दिनांक 19.02.2005 को हुयी। उसके उपरान्त तहसीलदार शाहपुरा ने उंकार कोली के वारिसान के नाम से नामान्तरकरण सं. 1567 दिनांक 19.01.2008 से आदेश पारित किये। अपीलार्थी ने उक्त नामान्तरकरण सं. 1567 दिनांक 19.01.2008 के विरूद्व लगभग 08 वर्ष पश्चात् दिनांक 18.02.2016 को अपील पेश की एवं इस बाबत् मियाद परिसीमा हेतु दफा 05 का प्रार्थना पत्र भी पेश नही किया हैं एवं न ही इतने वर्ष पश्चात् उक्त नामान्तरकरण के विरूद्व अपील पेश किये जाने बाबत कोई ठोस कारण स्पष्ट किया हैं। अपीलार्थी की

अपील मियाद बाहर हैं। अपीलार्थी ने उक्त नामान्तरकरण पारित किये जाने के दौरान भी कोई आपत्ति पेश नहीं की गयी। उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील स्वीकार योग्य नही ठहरती है। अतएव–

आदेश

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 विरूद्ध आदेश तहसीलदार शाहपुरा के नामान्तरकरण सं0 1567 दिनांक 19.01.2008 के क्रम में अस्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार शाहपुरा द्वारा पारित नामान्तरकरण सं. 1567 दिनांक 19.01.2008 को यथावत रखा जाता हैं। निर्णय की प्रति मय तलबिदा रिकार्ड अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार शाहपुरा को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 06-12-.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar
Date: 2019.12.06 16:34:55 IST
Reason: SelfAttested
Location: